प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. **जिला**:– ए.सी.बी. एस.यू. कोटा **थाना** :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ....405/22....... **दिनांक** 14/10/2022
2. (A) **'अधिनियम**–पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018 **धारायें**–7,7ए पी.सी.(संशोधित)एक्ट 2018
(B) **'अधिनियम** – भा0द0सं0......................**'धारायें** – ....120बी ....
(C) **'अधिनियम**..**'धारायें**..
(D) **'अन्य अधिनियम धारायें**...
3. (अ) **रोजनामचा आम रपट संख्या**...............234.......**समय**...........5:40 P.M....
(ब) **अपराध घटने का दिन** :– बुधवार **दिनांक** :–12.10.2022 **समय** : 11.38 एएम
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** : 15.09.2022 **समय** : 03.15 पीएम
4. **सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक** – टाईपशुदा प्रार्थना पत्र
5. **घटना स्थल**:– दिव्यांश मेडिकल, देई
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरी**:– बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 80 कि.मी.
(ब) **पता** :– दिव्यांश मेडिकल, देई, नैनवां जिला बून्दी
जरायम देही संख्या.....................
(स) **यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो**
पुलिस थाना – देई **जिला** – बून्दी
6. **परिवादी/सूचनाकर्ता** :–
(अ) **नाम**:– श्री रमेश मीणा
(ब) **पिता/पति का नाम** – श्री प्रहलाद
(स) **जन्म तिथी/ उम्र** :– 24 वर्ष
(द) **राष्ट्रीयता** :– भारतीय
(य) **पासपोर्ट संख्या**..**जारी होने की तिथी**.......
जारी होने की जगह...
(र) **व्यवसाय**– चाय की दुकान
(ल) **पता** – निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित** :–
 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरागी पुत्र सोहनलाल जाति बैरागी उम्र 49 साल निवासी नर्सिया कोलोनी ,देई तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी
 2. श्री अर्जुनलाल चौपदार पुत्र हजारीलाल जाति चौपदार उम्र 44 साल निवासी डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी सरंपच पति (प्राईवेट व्यक्ति)ग्राम पंचायत डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी
8. **परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण**:–.............................. शून्य..
9. **चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)**.
10. **चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य**. :– 5000/– रूपये ....
11. **पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)**..
12. **विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)** :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.09.2022 को समय 03.15 पी.एम पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा मय श्री योगेन्द्र सिंह कानि. भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो चौकी इन्टेलिजेन्स, कोटा के एसीबी चौकी कोटा पर उपस्थित आया तथा परिवादी ने श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, इन्टे कोटा के नाम सम्बोधित प्रार्थना पत्र श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक एसीबी कोटा को इस आशय का पेश किया कि "मैंने मेरे मकान का पटटा बनवाने के लिये फाईल बनाकर ग्राम पंचायत गोकुन के सेक्रेटरी श्री राजेन्द्र बैरागी को शिविर में दी थी उस समय सेक्रेटरी राजेन्द्र बैरागी ने मुझसे पंचायत भवन आकर पटटा बनाने के लिये 1500 रूपये मांगे थे।मैंने मना किया तो उसने 1500 रूपये के बगैर पटटा नही बनना बताने से मेरे द्वारा मजबुरीवश उसी समय दे दिये । उसके करीब महीने भर बाद मैं सेक्रेटरी से मिला तो सेक्रेटरी छ सात दिन बाद मौका

देखने आया और मौका देखकर कहा कि पट्टा बनाने के लिये दस हजार और देने पडेंगे।इस पर मैंने उसे दस हजार रूपये दे दिये।उसके बाद सेक्रेटरी ने मेरे से दो हजार रूपये पट्टा बनाने के लिये और मांगे जो मेरे देने के बाद उसने कहा कि तेरा पट्टा कल तुझे मिल जायेगा लेकिन सेक्रेटरी से बार बार मिलने पर भी उसने मुझे पट्टा नही दिया।हमारे पंचायत की सरपंच श्रीमती सुगना बाई चौपदार हैं लेकिन सरपंच का सारा काम उसका पति अर्जुन चौपदार ही करता हैं।सरपंच तो केवल हस्ताक्षर ही करवाता हैं इस लिये मैं मेरे पट्टे के लिये सरपंच पति अर्जुन चौपदार से मिला तो उसने उस समय मेरे से मेरे मकान का पट्टा जारी करवाने के लिये सात हजार रूपये देने हेतु कहा जो मैंने उसको दे दिये।सात हजार रूपये देने पर उसने कहा कि दो चार दिन बाद पट्टा सेक्रेटरी से ले लेना, जब पट्टा तेरे हाथ में आ जाये तब तीन हजार रूपये सेक्रेटरी साब को दे देना। इस प्रकार सेक्रेटरी व सरपंच पति मेरे से मकान का पट्टा बनाने की एवज में अब तक अलग अलग समय में बीस हजार पॉच सौ रूपये ले चुके हैं इसके बाद से सरपंच पति अर्जुन चौपदार मेरे से रिश्वत के सम्बन्ध में बात नही कर रहा व बाकि पैस तीन हजार रूपये सेक्रेटरी के मार्फत ही लेना चाहता हैं। मैं पट्टा लेने कल सेक्रेटरी के पास गया तो उसने कहा कि सरपंच पति अर्जुन चौपदार पट्टा बुक नही दे रहा हैं तु दस हजार रूपये और दे देना ताकि मैं सरपंच पति को आधे पैसे देकर तेरा पट्टा तुरन्त बनवाकर तुझे दे दुंगा। इसके बाद से सरपंच पति मुझसे रिश्वत के बारे में बात नही कर रहा है।मैं सेक्रेटरी राजेन्द्र बैरागी व सरपंच पति अर्जुन चौपदार को पैसे देते देते थक चुका हुँ मेरे पत्नी के जेवर तक मैंने बेच दिये है अब मैं उन दोनो को रिश्वत नही देना चाहता ,उनको रिश्वत देते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हुँ उनसे मेरी कोई पुरानी रजिंश व देन लेन बकाया नही हैं। परिवादी ने कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा टाईप करवाकर लाना बताया। परिवादी से दरियाफत किया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र कोटा में ही किसी टाईप करने वाले से टाईप करवाकर लाना बताया। प्रार्थना पत्र टाईप करने वाले का नाम पता ज्ञात नही होना अवगत करवाया ।परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पुर्ण तथ्य स्वयं द्वारा बोले अनुसार ही लिखे होना बताते हुये उन पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया।परिवादी द्वारा अवगत कराया कि कल हमारे इलाके में मुख्यमंत्री के आने का प्रोग्राम हैं इसलिये सेक्रेटरी व सरंपच पति दोनो नही मिलेंगे इसलिये मैं परसो दिनांक 17.09.22 को सेक्रेटरी व सरपंच पति से पटटे के सम्बन्ध में बात करूंगा तो वह वापस मेरे से रिश्वत मांगेगे मैं गरीब आदमी हुँ बार बार इतनी दूर नही आ सकता आप किसी को आपके ऑफिस से देई भेज देना।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व दरियाफत से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग से सम्बन्धित हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियतम की परिधी में आता हैं अत प्रार्थना पत्र आगामी कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो,इन्टे.,कोटा के जिम्मे किया गया।परिवादी को कानि योगेन्द्र सिंह 282 के मोबाईल नम्बर दिये जाकर समझाईश की गई कि जब भी सेक्रेटरी या सरपंच पति से वार्ता करने जाना हो उससे पुर्व योगेन्द्र सिंह के मोबाईल पर सुचना करे ताकि सत्यापन कार्यवाही करवाई जा सके। परिवादी को सकुशल रूकसत किया गया तथा आवश्यक समझाईश की गयी। प्रार्थना पत्र कानि योगेन्द्र को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्द किया।

दिनांक 16.09.2022 को समय 05.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक के बाद राजकार्य कार्यालय ए सी बी चौकी, कोटा शहर में उपस्थित आने पर श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र व कार्यवाही पुलिस एवं कार्यवाही पुलिस में वर्णित दरियाफत का अवलोकन किया गया जिससे मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग से सम्बन्धित होना पाया गया हैं जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियतम की परिधी में आता हैं अत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 16.09.2022 को समय 07.07 पी०एम० पर योगेन्द्र सिंह कानि. 282 ने मन पुलिस निरीक्षक को सुचित किया कि परिवादी रमेश मीणा का फोन आया हैं जिसने कल सुबह सत्यापन वार्ता हेतु रिकार्डर लेकर देई बुलाया हैं जिस पर कानि को रिकार्डर लेकर मौके पर जाने के मौखिक निर्देश दिये गये।

दिनांक 17.09.2022 को समय 06.15 ए०एम० पर योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को वास्ते सत्यापन कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, कोटा के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाकर कानि योगेन्द्र सिहं को सुपुर्द किया ।कानि को निर्देशित किया कि वह परिवादी द्वारा दी गई सुचना अनुसार कस्बा देई पहुंचे व डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधी परिवादी को भली भाति समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को

सुपुर्द करें व सत्यापन के दौरान परिवादी व संदिग्ध व्यक्ति राजेन्द्र बैरागी व सरपंच पति अर्जुन चौबदार से होने वाली वार्ता को यथा सम्भव देखने व सुनने का प्रयास करें फर्द सुपुर्दगी डिलीटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 02.45 पी0एम0 पर योगेन्द्र सिंह कानि. 282 बाद सत्यापन कार्यवाही के मय वाईस डिजीटल रिकार्डर व मेमोरी कार्ड के वापस कार्यालय हाजा पर आया हैं जिसने बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं देई पहुंचा जहा मुझे परिवादी रमेश मिला । मैनें डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधी समझाकर कर परिवादी को वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया ततपश्चात परिवादी सदिग्ध व्यक्ति के घर कस्बा देई पर गया।मैं थोडी दुरी पर ही खडा हो गया था थोडी देर बाद परिवादी मेरे पास वापस आया ।इस पर मैंने रिकार्डर परिवादी से लेकर बन्द कर दिया ।परिवादी ने बताया कि मेरी राजेन्द्र वैरागी जी से वार्ता हो गयी है और उन्होने शेष 10,000/– रूपये व्यवस्था होने पर देने की बात हुई हैं। इस पर उन्होने रिश्वत लेने की सहमति देते हुये व्यवस्था होने पर रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा हैं।मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने पर आपको सुचित कर दुंगा ।इस पर मैं परिवादी से प्राप्त वाईस रिकाडर के वापस कार्यालय आया हुँ । मन् पुलिस निरीक्षक ने योगेन्द्र सिंह कानि. 282 के कथनों की पुष्टि रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता से होती हैं । परिवादी से आरोपी राजेन्द्र वैरागी द्वारा रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई। प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकार्डर मुर्तिब की गई। आईन्दा गवाह तलब कर परिवादिया की उपस्थिति मे फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जावेगी। इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 20.09.2022 को समय 01.10 पी0एम0 पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान तलविदा उपस्थित आया। समय 01.30 पी0एम0 पर श्री हेमन्त शर्मा कानि0 653 को अग्रिम कार्यवाही हेतु गवाहान की तलबी हेतु एक पत्र उप वन सरंक्षक कोटा के नाम देकर दो स्वतंत्र गवाहान आज दिनांक के लिये पाबन्द कर आने हेतु रवाना किया। समय 03.15 पी0एम0 पर श्री हेमन्त शर्मा कानि0 653 दो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत पुत्र श्री दामोदर प्रजापत जाति प्रजापत उम्र 29 साल निवासी– खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल फोरेस्ट गार्ड उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा। मो0 7240124918 एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री मोहनलाल सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– ग्राम देहीत तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल फोरेस्ट गार्ड उपवन संरक्षक वन्य जीव कोटा। मो0 8824081644 के साथ उपस्थित आया हैं जिस पर दोनो गवाहो का परिवादी श्री रमेश मीणा से परिचय करवाया एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही के स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाही गयी जिस पर दोनो गवाहान ने सहमति व्यक्त करते हुये परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 03.30पी0एम0 पर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे दिनांक 17.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता का डिजीटल वाईस रिकार्डर मय ममोरी कार्ड मालखाने से निकलवाया जाकर उसमे रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप मे लिवायी जाकर स्पीकर चालू कर दोनो गवाहान व परिवादी श्री रमेश मीणा को सुनाया गया। परिवादी श्री रमेश मीणा ने डिजीटल वाईस रिकार्डर मे दिनांक 17.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी सेक्रेटरी राजेन्द्र वैरागी की होना बताया। कार्यालय के लेपटॉप में सेव उक्त वार्ता को दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री रमेश मीणा की उपस्थिति मे लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 से तैयार की गयी, जिसे सम्बन्धितों को पढकर सुनाये जाने पर सम्बन्धितो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।फर्द ट्रान्सक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई।परिवादी ने अवगत कराया कि रिश्वत में दिये जाने वाले रूपयो की व्यवस्था होने पर आपको अवगत करवा दुंगा। इस पर परिवादी को समझाईश की गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था होने पर सुचित करें।जिस पर परिवादी को बाद समझाईश रूखसत किया गया तथा गवाहान को तलबी पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया जाकर रवाना किया। समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री रमेश मीणा के द्वारा जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी राजेन्द्र बैरागी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पॉच हजार रूपये की व्यवस्था कर ली है आप सुबह दस ग्यारह बजे करीब देई आ जाना मैं आपसे सम्पर्क कर लुंगा इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते को सुबह सात ए एम पर कार्यालय भ्र नि ब्यु चौकी कोटा शहर में उपस्थित आने को जरिये दुरभाष पाबन्द किया गया।

दिनांक 21.09.2022 को समय 07.30 ए0एम0 पर पुर्व में पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी व जाप्ता ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आये हैं।समय 08.10 ए0एम0 मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर मय जाप्ता श्री योगेन्द्र सिहं 282, कानि

श्री ब्रजराज 159 , हेमन्त कानि चालक 653 दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी के सरकारी वाहन जीप सरकारी आर जे 14 यु ई 0812 व टवेरा आर जे 14 यु सी 8905 मय सरकारी व निजी लेपटॉप ,निजी वायरलेस प्रिन्टर , ट्रैप बॉक्स, ट्रैप मे काम आने वाली सामग्री के तथा एक अन्य टवेरा वाहन मे श्री रमेशचन्द आर्य पु0नि0 मय श्री किशन सिह उप निरीक्षक, लालचन्द कानि0 30, श्री बबलेश कानि0 261 श्री योगेन्द्र हैं.कानि 123, श्री घनश्याम कानि0 चालक 609, देई जिला बून्दी के लिये रवाना हुऐ। समय 10.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान जरिये मोबाईल पर सम्पर्क होने पर गोपनीय स्थान कस्बा देई से करीब दो किमी दुरी खटकल रोड पर उपस्थित आया है। समय 10.15 ए0एम0 उपरोक्त गवाहान के समक्ष श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान ने आरोपी सेक्रेटरी राजेन्द्र वैरागी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5000/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये। रूबरू गवाहान के समक्ष श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद मीणा जाति मीणा उम्र 24 साल निवासी ग्राम देवरिया तहसील नैनवा जिला बूंदी ने आरोपी श्री राजेन्द्र बैरागी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के **पांच सो पांच सो रूपये के 10** नोट कुल **5000/–** रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर इस प्रकार हैं–

क. सं.	नोटोंकाविवरण	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**7 CN 569666**
2.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**2 AF 250607**
3.	पांच सौरूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**7 TN 403380**
4.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**3 CU 647215**
5.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**8 BK 273175**
6.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**2 FC 990884**
7.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**4 BS 276678**
8.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**0 EF 209050**
9.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**1 US 882623**
10.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	**4 FA 822691**

उक्त नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने के लिए श्री हेमन्त कानि. 653 द्वारा टवेरा गाडी गाडी के डेश बोर्ड से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई । टवेरा गाडी की पिछली सीट पर अखबार बिछवाया गया तत्पश्चात उपरोक्त सभी नोटों पर श्री हेमन्त कानि. 653 ने फिनोफथलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया । स्वतंत्र गवाह श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी से परिवादी श्री रमेश मीणा की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। श्री हेमन्त कानि. 653 से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/– रू. फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये नोटों को परिवादी की पेन्ट की सामने की दायीं जैब में रखवाया गया। तत्पश्चात् एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री हेमन्त कानि. 653 के फिनोफ्थलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की रासायनिक प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया तथा परिवादी को हिदायत दी की वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोट को अपनी पेन्ट की जैब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की और अपने सिर पर बंधा गमछा खोल कर इशारा करे। कार्यालय का डिजीटल वाइस रिकॉर्डर की चालू व बंद करने की विधि समझाकर वक्त रिश्वती लेन देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिए हिदायत देकर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में रखवाया। इसके बाद गिलास के धोवन को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री हेमन्त कानि. 653 के वापस डेशबोर्ड मे रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने मे काम मे लिया गया अखबार को जलाकर नष्ट करवाया

गया। गिलास एवं श्री हेमन्त कानि. 653 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को रखवाया गया। कार्यवाही में काम में आने वाले कांच की शीशीयों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। श्री हेमन्त कानि. 653 को मौके पर ही रूकने की हिदायत की गई। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखे व वार्ता को सुनने को प्रयास करे। समय 11.00 ए0एम0 पर गोपनीय स्थान से परिवादी व कानि योगेन्द्र 282 परिवादी की मोटरसाइकिल से आरोपी के कार्यस्थल पंचायत भवन डोकुन की तरफ रवाना किया गया एवं श्री योगेन्द्र सिंह को हिदायत की गई की रिश्वत लेनदेन को यथासंभव देखने एवं लेनदेन के वक्त होनेवाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। मन पु नि मय हमराह जाप्ता मय वाहन एवं द्वितीय टीम का जाप्ता मय वाहन के परिवादी की मोटरसाइकिल से निश्चित दुरी बनाते हुये डोकुन के लिये रवाना हुये। समय 11.15 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता एवं द्वितीय टीम प्रभारी रमेशचन्द प्रभारी मय जाप्ता के पंचायत भवन डोकुन से कुछ दुरी पहले उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये। समय 11.45 ए0एम0 पर परिवादी मय कानि योगेन्द्र सिंह के साथ मन पु नि के पास आया और रिकार्डर देते हुये बताया कि आरोपी श्री राजेन्द्र बैरागी आज अपने ऑफिस नही आया हैं ।मेरा उसके मकान में भी आना जाना हैं मैंने पता किया तो पता चला कि वह मकान पर भी नही हैं।मैने राजेन्द्र बैरागी के सम्बन्ध में पता किया है कि वह आज नैनवा गया हुआ हैं उसके देई में आने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। जिस पर कानि योगेन्द्र सिंह 282 को परिवादी के साथ उसकी चाय की दुकान पर छोडा गया और मन पु नि मय श्री बृजराज सिंह 159 व स्वतंत्र गवाहान के एवं द्वितीय टीम के श्री रमेश पु नि मय जाप्ता के कस्बा देई में पृथक पृथक गोपनीय स्थानो पर अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी की सुचना के इन्तजार मुकीम हुये। समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री रमेश मीणा ने आकर बताया कि मैंने राजेन्द्र बैरागी को दो तीन बार उसके मोबाईल 6377264145 पर कॉल कर बात करनी चाही लेकिन उसने लेकिन उसने मोबाईल नही उठाया मेरे पता करने पर जानकारी में आया हैं कि राजेन्द्र बैरागी के परिवार में मौत होने से वह ऑफिस व मकान दोनो स्थानो पर नही हैं ना ही नैनवा से आने की संभावना हैं आज कार्यवाही के होने की कोई संभावना नही हैं आप लोगो को मैं मेरी दुबारा बातचीत होने पर सुचित कर दुंगा।इस पर परिवादी की जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि पॉच हजार रूपये गवाह श्री कमलचन्द प्रजापत से निकलवाई जाकर उक्त राशि को एक सफेद लिफाफे में रखवाकर गवाह कमलचन्द के पास सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को मौके पर ही छोड मन पु नि बाद समझाईश मय हमराही समस्त जाप्ता के व ट्रेप सामग्री व राशि के वापस कोटा शहर रवाना हुई। समय 09.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान् के रिश्वती राशि 5000/– रूपये व अन्य ट्रेप सामग्री के साथ एसीबी कार्यालय कोटा पहुंची। स्वतंत्र गवाहान कमलचंद के पास रखी गई रिश्वत राशि पॉच हजार का लिफाफा व अन्य ट्रेप सामग्री जमा मालखाना करवाई गई।दोनो स्वतंत्र गवाहान को बाद समझाईश रूखसत किया।

दिनांक 22.09.2022 को समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री रमेश मीणा के द्वारा जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी राजेन्द्र बैरागी कल दिनांक 23.09.2022 को सुबह के ग्यारह बारह बजे तक अपने मकान पर ही मिल जायेगा। आप मय टीम के सुबह दस बजे तक देई आ जाये। मैं आपसे सम्पर्क कर मिल लुंगा।इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते को सुबह सात ए एम पर कार्यालय भ्र नि ब्यु चौकी कोटा शहर में उपस्थित आने को जरिये दुरभाष पाबन्द किया गया।

दिनांक 23.09.2022 को समय 07.35 ए0एम0 पर में पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी व जाप्ता ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आये हैं। समय 08.15 पर मालखाना से ट्रेप में दी जाने वाली राशि पॉच हजार रूपये मालखाने से निकलवा कर गवाह कमलचंद प्रजापत के पास सुरक्षित रखवायी गई। ततपश्चात मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर मय जाप्ता मय श्री किशन सिह उप निरीक्षक, श्री योगेन्द्र सिहं 282, कानि श्री ब्रजराज 159 , श्री घनश्याम कानि0 चालक 609, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी के सरकारी वाहन टवेरा सरकारी आर जे 14 यु सी 8905 व मय सरकारी व निजी लेपटॉप ,निजी वायरलेस प्रिन्टर , ट्रैप बॉक्स, ट्रैप मे काम आने वाली सामग्री के तथा एक अन्य जीप सरकारी आर जे 14 यु ई 0812 मे श्री रमेशचन्द आर्य पु0नि0 लालचन्द कानि0 30, श्री बबलेश कानि0 261 श्री योगेन्द्र हैं.कानि 123, हेमन्त कानि चालक 653 देई जिला बून्दी के लिये रवाना हुऐ। समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान जरिये मोबाईल पर सम्पर्क होने पर देई में गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया। समय 10.50 एएम परिवादी को रिकार्डर मय मेमोरी

कार्ड के चालु व बंद करने की विधी पुन :समझाकर रिकार्डर परिवादी की बॉयी जेब में और रिश्वत राशि पॉच हजार रूपये जो स्वतंत्र गवाह कमलचन्द के पास सुरक्षित रखे हैं को गवाह कमलचंद से लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की दॉहिनी जेब में रखवाया जाकर परिवादी को राजेन्द्र बैरागी के मकान हेतु रवाना किया व समझाईश की गई कि राजेन्द्र बैरागी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर पुर्व निर्धारित ईशारे से सुचित करें।परिवादी की निगरानी हेतु कानि योगेन्द्र सिंह को रवाना कर हिदायत की गई कि यथा संभव रिश्वत लेन देन व रिश्वत लेन देन के वक्त होने वाली वार्ता को देखे व सुने । मन पु नि मय ट्रेप पार्टी के परिवादी के मकान से निश्चित दुरी बनाते हुये अपनी अपनी उपस्थिति छिपाकर मुकीम हुये । समय 11.06 एएम पर परिवादी रमेश मीणा मय कानि योगेन्द्र सिंह कानि 282 के बिना कोई ईशारा किये आया व परिवादी ने बताया कि मैं योगेन्द्र जी को राजेन्द्र बैरागी के मकान के बाहर छोडकर उनके मकान पर गया तो वह नहाकर ही निमटे थे मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होने नाराज होकर कहा कि सरपंच पति अर्जुन का भाई हरिराम बीच में बोलने वाला, मैं उससे बात करता हुँ फिर राजेन्द्र जी ने हरिराम से बात करके नाराजगी में मेरे से पुर्व में लिये हुये 13,500 रूपये मे से पॉच हजार रूपये वापस लौटा कर कहा कि तु ये पैसे अर्जुन जी को दे देना वह पटटा बना देंगे जिसे लेकर तु मेरे पास आ जाना मैं पटटे पर साईन कर दुंगा।मैंने वह पॉच हजार रूपये लेने से मना किया तो उन्होने कहा है कि मैं साईन करूंगा तब वापस ले लुंगा।पैसे दिये बगैर मैं हस्ताक्षर ही नही करूंगा।इस पर उनके द्वारा आज रिश्वत राशि प्राप्त नही की हैं मेरे व राजेन्द्र प्रसाद बैरागी के मध्य हुईबातचीत आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्डहो गई है मैने राजेन्द्र के घर से बाहर आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर योगेन्द्र जी से बन्द करवा लिया था जो पेश कर रहा हुं।उक्त तथ्यो की पुष्टि कानि योगेन्द्र सिंह के द्वारा भी की गई इस पर डिजीटल वाईस रिकार्डर का स्पीकर ऑन करके सुना गया तो बताये गये तथ्यो की पुष्टि हुई।तु बाकि पैसे सरपंच को दे देना वही काम करेंगे।ये कहते हुये उन्होने पुर्व में ली गई राशि के पॉच हजार रूपये गिनकर मेरे को लौटा दिये व कहा है कि सरपंच ही काम करेगा, मैं तो तेरे पटटे पर अपने हस्ताक्षर कर दुंगा व रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया इस पर मैं मकान से बाहर आया और योगेन्द्र जी 282 से रिकार्डर बन्द करवाकर उनको बताकर आपके पास उपस्थित आया हुँ।श्री योगेन्द्र सिंह 282 से पुछताछ पर उनके द्वारा भी उनके द्वारा भी परिवादी के कथनो की ताईद की ।रिकार्डर को चालु कर रिकार्ड वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक के द्वारा सुना गया तो परिवादी व कानि के कथनो की ताईद हुई।आरोपी राजेन्द्र बैरागी द्वारा सरपंच पति अर्जुन चौबदार को पॉच हजार देने हेतु कहने की पुष्टि हुई है जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। समय 11.35 एएम पर परिवादी रमेश मीणा ने अवगत कराया कि सरपंच पति अर्जुन चौपदार मेरे से रिश्वत लेन देन के सम्बन्ध में सीधी बात नही करता लेकिन राजेन्द्र बैरागी द्वारा लौटाये पॉच हजार रूपये को सरपंच पति को देने व पटटा बनवाने की बात कही हैं इस लिये अर्जुन चौपदार से आतचीत की कोशिश कर लेता हुं इस पर परिवादी की मोटरसाइकिल पर कानि योगेन्द्र सिहं 282 को आरोपी राजेन्द्र बैरागी द्वारा रिश्वत लेन देन प्रयास के दौरान सरपंच पति अर्जुन चौबदार को रिश्वत राशि दिये जाने की पुष्टि हेतु अर्जुन चौबदार के घर ग्राम डोकुन रवाना किया।श्री योगेन्द्र सिंह को हिदायत की गई कि परिवादी व अर्जुन चौबदार के मध्य होने वाली वार्ता को सुने व देखे।मन पु नि मय ट्रेप पार्टी के कस्बा देई से रवाना बजनेरी रोड पर गोपनीय स्थान पर मुकीम हुई। समय 12.48 पीएम पर श्री योगेन्द्र सिंह मय परिवादी रमेश मीणा के वापस आया परिवादी द्वारा वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन पु नि को पेश कर बताया कि मैं योगेन्द्र जी के साथ मेरे मोटरसाइकिल से रवाना होकर अर्जुन जी चौबदार के निवास ग्राम डोकुन पर पहुंचा जहा पर अर्जुन जी का भाई हरिराम मिला जिससे मेरी बातचीत हुई फिर मेरी सरपंच पति अर्जुन जी से भी पटटे के सम्बन्ध में बातचीत हुई।रिश्वत के सम्बन्ध में मेरे से अब सीधी बात नही कर रहा हैं लेनदेन की बात करते ही वह ईधर उधर बात घुमा देता है।जिसकी पुष्टि कानि के द्वारा भी की गई।रिश्वत राशि स्वतंत्र गवाह कमल प्रजापति को दिलवाई जाकर रिकार्डर सुना गया तो परिवादी व कानि द्वारा बताये तथ्यो की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया आज इस कार्यवाही के होने की कोई संभावना नही हैं जिस पर परिवादी को मौके पर ही छोड मन पु नि बाद समझाईश परिवादी मय हमराही समस्त जाप्ता के व ट्रेप सामग्री व राशि के वापस कोटा शहर रवाना होती हुं। समय 04.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान् के रिश्वती राशि 5000/- रूपये व अन्य ट्रेप सामग्री के साथ एसीबी कार्यालय कोटा पहुंचकर जमा मालखाना करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया।

दिनांक 11.10.2022 को समय 4.51 पी0एम0 पर परिवादी श्री रमेश मीणा के द्वारा जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी सचिव राजेन्द्र बैरागीं व सरपंच पति अर्जुन चौपदार ने मुझसे मेरा पट्टा बनाने की एवज में कल दिनांक 12.10.2022 को 12,000 रूपये की मांग की हैं। मुझे कल

पट्टा देने के लिये बुलाया है लेकिन मैं पुर्व में आपको पेश किये हुये पॉच हजार के अलावा शेष पैसो की व्यवस्था नही कर सकता।उन लोगो को पॉच हजार रिश्वत में देकर शेष सात हजार रूपये बाद में देने का कह दुगा।आप कल सुबह दस ग्यारह बजे देई आकर मुझे फोन कर देना।मैं मिल लुंगा। इस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते को सुबह आठ एएम पर कार्यालय भ्र.नि.ब्यू. चौकी कोटा शहर में उपस्थित आने को जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया तथा परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने हेतु समझाईश की।

दिनांक 12.10.2022 को समय 08.15 ए0एम0 पर पूर्व में पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी व जाप्ता ट्रेप कार्यवाही हेतु उपस्थित आये हैं। समय 08.30 पर मालखाना से ट्रेप में दी जाने वाली राशि पॉच हजार रूपये मालखाने से निकलवा कर गवाह कमलचंद प्रजापत के पास सुरक्षित रखवायी गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक चन्द्र कंवर मय जाप्ता मय श्री रमेश चन्द आर्य पुलिस निरीक्षक, श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक, श्री योगेन्द्र सिहं कानि. 282, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी के प्राईवेट वाहन व मय सरकारी व निजी लेपटॉप, प्रिन्टर , ट्रैप बॉक्स, ट्रैप मे काम आने वाली सामग्री के तथा एक अन्य जीप सरकारी आर जे 14 यूई 0812 मे श्री किशन सिंह उ.नि., श्री योगेन्द्र हैं.कानि 123, श्री लालचन्द कानि0 30, श्री बबलेश कानि0 261, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 के कस्बा देई जिला बून्दी के लिये रवाना हुऐ। समय 10.30 एएम पर मन पु.नि. मय टीम मय गवाहान के कस्बा देई से नैनवा की तरफ जाने वाले आम रोड पर गोपनीय स्थान पर पहुची व परिवादी को गोपनीय स्थान से अवगत करवाकर गोपनीय स्थान आने हेतु जरिये मोबाईल सुचित किया। जिस पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान जरिये मोबाईल पर सम्पर्क होने पर देई में गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया। समय 11.10 एएम पर परिवादी को रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के चालू व बंद करने की विधी पुन :समझाकर रिकार्डर परिवादी की बॉयी जेब में और रिश्वत राशि पॉच हजार रूपये जो स्वतंत्र गवाह कमलचन्द के पास सुरक्षित रखे हैं को गवाह कमलचंद से लिफाफे से निकलवाकर परिवादी की दॉहिनी जेब में रखवाया जाकर परिवादी को राजेन्द्र बैरागी के पास जाने हेतु रवाना किया व समझाईश की गई कि राजेन्द्र बैरागी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर पूर्व निर्धारित ईशारे से सूचित करें। परिवादी की निगरानी हेतु कानि योगेन्द्र सिंह को रवाना कर हिदायत की गई कि यथा संभव रिश्वत लेन देन व रिश्वत लेन देन के वक्त होने वाली वार्ता को देखे व सुने । मन पुनि मय ट्रेप पार्टी के परिवादी से निश्चित दूरी बनाते हुये अपनी अपनी उपस्थिति छिपाकर मुकीम हुये । समय 11.38 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा ने दिव्यांश मेडिकल स्टोर कस्बा देई के सामने खड़े खड़े पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर बंधा गमछा खोल कर इशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व गवाहान के परिवादी के पास पहुंची। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने दिव्यांश मेडिकल स्टोर के अंदर बैठे हुऐ व्यक्तियों की ओर ईशारा कर बताया कि मेडिकल स्टोर के अन्दर मेहरुन कलर की टी–शर्ट पहने हुआ व्यक्ति राजेन्द्र बैरागी सचिव ग्राम पचांयत डोकून है तथा राजेन्द्र बैरागी की बगल में लाईट नीले कलर की शर्ट पहने हुआ व्यक्ति ग्राम पंचायत डोकून के सरपंच का पति अर्जुन चौपदार है । अर्जुन चौपदार के इशारा करने पर सचिव राजेन्द्र बैरागी द्वारा अभी–अभी मेरे से मेरे गांव में स्थित प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत में लिए है जो राजेन्द्र बैरागी ने अपने हाथ में लेकर गिनकर अपने पास कुर्सी पर रखे है तथा 7,000 रुपये बाद में देने हेतु कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम, परिवादी व गवाहान के मेडिकल स्टोर का कांच का गेट खोलकर अन्दर प्रवेश किया। मेडिकल के अन्दर बैठे मेहरुन कलर टी–शर्ट पहने हुऐ व उसकी साईड में लाईट नीले कलर की शर्ट पहने हुऐ व्यक्ति सरपंच पति अर्जुन चौपदार को अपना व टीम का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा उनसे उनका परिचय पूंछा तो उक्त मेहरुन कलर टी–शर्ट पहने हुऐ व्यक्ति ने अपना नाम श्री राजेन्द्रप्रसाद बैरागी पुत्र सोहनलाल जाति बैरागी उम्र 49 साल निवासी नर्सिया कोलोनी ,देई तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी व दूसरे उसके पास में बैठे लाईट नीले कलर की शर्ट पहने हुऐ व्यक्ति ने अपना नाम श्री अर्जुनलाल चौपदार पुत्र हजारीलाल जाति चौपदार उम्र 44 साल निवासी डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी सरपंच पति ग्राम पंचायत डोकून का होना बताया से मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी रमेश मीणा की ओर ईशारा कर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी व अर्जुन चौपदार से पूंछा कि अभी अभी आपने रमेश मीणा से उसके प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में पांच हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है । इस पर आरोपी राजेन्द्रप्रसाद बैरागी ने बताया कि मैंने रमेश मीणा से कोई रिश्वत नहीं ली है तथा अर्जुन चौपदार ने कहा कि रमेश मीणा फर्जी आदमी है। यह

जबरदस्ती रिश्वत देना चाहता था लेकिन हमनें इससे कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की। इस पर परिवादी श्री रमेश मीणा ने आरोपीगण राजेन्द्र प्रसाद बैरागी व अर्जुन चौपदार की बातों का खण्डन करते हुये बताया कि मेरे प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में इन दोनों ने आपसी मिलीभगत कर 20,500 रुपये पूर्व में प्राप्त कर लिए व अभी थोडी देर पहले अर्जुन चौपदार द्वारा हाथ का इशारा राजेन्द्र बैरागी की तरफ करने पर राजेन्द्र प्रसाद बैरागी द्वारा मुझसे पांच हजार रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त किये है,जो राजेन्द्र प्रसाद बैरागी नें गिनकर अपने पास कुर्सी पर रखे है। चूंकि घटना स्थल दिव्यांश मेडिकल स्टोर कस्बा देई आम रास्ता पर होने एंव कार्यवाही में व्यवधान की पूर्ण संभावना होने से मेरे निर्देश पर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी का दाहिना हाथ श्री लालचन्द कानि0 30 व बायां हाथ श्री योगेन्द्र सिह कानि. 282 से कलाई के उपर से पकडवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री कमलचंद प्रजापत से प्लास्टिक की कुर्सी पर रखी हुई रिश्वत राशि पांच हजार रूपये उठवाकर अपने पास सुरक्षित रखने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम व गवाहान मय डिटेनशुदा आरोपीगण राजेन्द्रप्रसाद बैरागी व अर्जुन चौपदार मय रिश्वत राशि के अग्रीम कार्यवाही हेतु मय पृथक–पृथक वाहनो से रवाना होकर थाना देई बून्दी पहुंचे। मन् पुलिस निरीक्षक ने इन्चार्ज थाना देई को अपना परिचय देकर आने के मन्तव्य से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया इस पर इन्चार्ज थाना ने एक अनुसंधान कक्ष उपलब्ध करवाया जिसमे बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। चूंकि परिवादी के कहेनुसार आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी ने आरोपी अर्जुन चोपदार के ईशारा करने पर रिश्वत राशि 5,000 रुपये अपने हाथ में लेकर गिनकर अपने पास रखी कुर्सी पर रखे थे। अतः आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ मे लेने की पूर्ण संभावना होने पर उसके हाथ धुलवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। तत्पश्चात् दो साफ कांच के गिलासों में स्वच्छ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया तो सभी हाजरीन ने घोल के रंग अपरिवर्तित होना बताया। एक कांच के गिलास में आरोपी राजेन्द्रप्रसाद बैरागी के दाहिना हाथ की अगुंलिया व अगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे कांच की साफ दो शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सील चिट कर मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2 दिया गया। तत्पश्चात दूसरें काच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी राजेन्द्र प्रसाद के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील चिट कर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क क्रमशः एल.एच.–1, एल.एच.–2 अंकित किया जाकर चारों शील्डशुदा सेम्पल को कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त रिश्वत राशि 5,000 रुपये जो गवाह कमलचंद प्रजापत के पास सुरक्षित रखी हुई है, जिसे निकलवाकर दोनो गवाहान से रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से करने हेतु कहा। जिस पर दोनों गवाहान ने उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से कर हुबहु होना बताया और कहा कि ये वही नोट हैं जिन पर दिनांक 21.09.2022 को कस्बा देई से खटकड की और जाने वाले रोड पर गोपनीय स्थान पर फिनोफ्थिलीन पाउडर लगवाया गया था। बरामदशुदा नोटो के नम्बर निम्न पाये गये –

क. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 CN 569666
2.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 AF 250607
3.	पांच सौरूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 TN 403380
4.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 CU 647215
5.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 BK 273175
6.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 FC 990884
7.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 BS 276678
8.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 EF 209050
9.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	1 US 882623

10.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 FA 822691

उक्त नोटों को एक लिफाफे मे रखवाकर लिफाफे पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी की जामा तलाशी गवाह श्री कमलचन्द प्रजापत सें लिवाई गई तो उसके पास एक मोबाईल ओपो कम्पनी का दो सिम वाला जिसके प्रथम ईएमआई नम्बर 861968057164879, द्वितीय ईएमआई नम्बर 861968057164861 जिनमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 7073498905 तथा जिओ कम्पनी की सिम नम्बर 6377264145 रखी हुई हैं। स्वंय का आधार कार्ड,पेन कार्ड मिले है। आरोपी की तलाशी में अन्य कोई संदिग्ध वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। इसी प्रकार आरोपी अर्जुन चोपदार की जामा तलाशी गवाह श्री कमलचन्द प्रजापत सें लिवाई गई तो उसके पास एक मोबाईल वीवो कम्पनी का दो सिम वाला जिसके प्रथम ईएमआई नम्बर 868867051404211, द्वितीय ईएमआई नम्बर 868867051404203 जिनमें एयरटेल कम्पनी की सिम नम्बर 9462531578 तथा जिओ कम्पनी की सिम नम्बर 9784104805 रखी हुई हैं। स्वंय का आधार कार्ड,पेन कार्ड,एटीएम कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस व 650 रुपये मिले है। आरोपी की तलाशी में अन्य कोई संदिग्ध वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी से परिवादी के कार्य सम्बन्धी स्टाम्प दस्तावेत प्राप्त कर फोटोप्रति पत्रावली पर ली जाकर मुल परिवादी को दी गई।फर्द बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से नियुमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपीगणों के आवास की खाना तलाशी लेने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को निवेदन किया गया। समय 3.35 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरागी को परिवादी व स्वयं के मध्य हुई रिश्वत सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता जिन्हे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं की आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर सें परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर " मैं स्वइच्छा से मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता" बाबत नोट अंकित किया। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03.45 पी.एम. पर आरोपी श्री अर्जुनलाल चौपदार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर सें परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर "आवाज का नमूना स्वेच्छा सें नहीं देना चाहता" बाबत नोट अंकित किया। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 3.55 पी.एम. पर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी को जरिये फर्द गिरफतारी हस्ब कायदा गिरफतार किया गया।फर्द गिरफतारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 4.10 पी.एम. पर आरोपी श्री अर्जुनलाल चौपदार को जरिये फर्द गिरफतारी हस्ब कायदा गिरफतार किया गया।फर्द गिरफतारी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 4.35 पी.एम. पर मन पु नि मय परिवादी व स्वतत्र गवाहान के मौके पर नक्शा मौका कशीद हेतु घटनास्थल हेतु रवाना हुई। समय 5.00 पी.एम. पर मन पु नि मय परिवादी व स्वतत्र गवाहान के घटनास्थल दिव्याश मेडीकल कस्बादेई पहुंची एवं रूबरू गवाहान मुन्दरजा फर्द एवं परिवादी श्री रमेश मीणा की मौजुदगी में कार्यवाही हाजा के घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शामौका पृथक से तैयार किया गया। समय 5.25 पी.एम. पर मन पु नि बाद निरीक्षण घटनास्थल मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के घटनास्थल दिव्यांश मेडीकल कस्बा देई से रवाना होकर थाना देई पहुंची। समय 7.10 पी.एम. पर आरोपीयान राजेन्द्र प्रसाद व अर्जुनलाल चौपदार एवं परिवादी रमेश मीणा के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता दि 12.10.2022 जो डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड हैं को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से जरिये कानि श्री योगेन्द्र सिह 282 के लेपटॉप में सेव करवाकर मन पु नि एवं गवाहान व परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया विस्तृत फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 8.30 पी.एम. पर आरोपी राजेन्द्र प्रसाद व परिवादी के मध्य दि 23.09.2022 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता जो दि 23.09.2022 को डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड से जरिये कानि श्री योगेन्द्र सिह 282 के लेपटॉप में सेव करवाकर मन पु नि एवं गवाहान व परिवादी को लेपटॉप का स्पीकर ऑन कर सुनाया गया विस्तृत फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान् के रिश्वती राशि 5000/- रूपये व अन्य ट्रेप सामग्री के साथ एसीबी कार्यालय कोटा रवाना होती हुं। परिवादी को मौके पर ही छोडा गया। समय 12.15 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक

मय हमराही जाप्ता,स्वतंत्र गवाहान् के रिश्वती राशि 5000/– रूपये व अन्य ट्रेप सामग्री के साथ एसीबी कार्यालय कोटा पहुंचकर जमा मालखाना करवाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान को आराम हेतु प्रातः पौने ग्यारह बजे आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।

दिनांक 13.10.2022_समय 10.45 ए.एम. पाबन्दशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कमलचंद प्रजापत एवं श्री सुलेन्द्र कुमार सैनी एवं परिवादी श्री रमेश मीणा कार्यालय पर उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम. दिनांक 23.09.2022 को परिवादी श्री रमेश मीणा व आरोपी श्री अर्जुन चौपदार सरपंच पति के मध्य रिश्वत के सम्बन्ध में हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड थी, उक्त वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप से परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। वार्ता में आवाजों की पहचान परिवादी द्वारा की गई। समय 01.20 पी.एम. परिवादी व गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से लेपटॉप में सेव कर परिवादी श्री रमेश मीणा एवं आरोपी श्री राजेन्द्र प्रसाद वैरागी के मध्य दिनांक 17.09.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 23.09.2022 को रिश्वत लेनदेन प्रयास वार्ता व दिनांक 12.10.2022 को हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता एवं परिवादी व आरोपी श्री अर्जुन चौपदार में मध्य दिनांक 23.09.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 12.10.2022 को परिवादी व आरोपीगणों के मध्य हुई वार्ताओं को लेपटॉप से 04 पेन ड्राईव श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282 के द्वारा कॉपी पेस्ट कर तैयार करवाये गये। एक पेन ड्राईव मय मैमोरी कार्ड वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिये, दो पेन ड्राईव आरोपगणों के लिये अलग–अलग कपड़े की थैलीयों में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थेलियों पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव व जप्ति पेनड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् कार्यवाही पूर्ण होने से परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय से रूखसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से परिवादी श्री रमेश मीणा पुत्र श्री प्रहलाद जाति मीणा उम्र 24 साल जाति मीणा निवासी गांव देवरिया, तहसील नैनवा के अपने गांव में स्थित प्लॉट का पट्टा बनाने की एवज में आरोपीगण राजेन्द्रप्रसाद बैरागी सचिव ग्राम पंचायत डोकून व सरपंच पति अर्जुन चौपदार (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा आपसी मिलीभगत कर अर्जुन चौपदार की सहमति पर परिवादी श्री रमेश मीणा से अर्जुन चौपदार के इशारा करने पर राजेन्द्र प्रसाद बैरागी द्वारा पांच हजार रुपये आरोपी अर्जुन चौपदार के भाई की मेडिकल स्टोर पर प्राप्त किये जाना एवम् रिश्वत राशि आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी के पास से बरामद होना तथा आरोपी राजेन्द्र प्रसाद बैरागी के दाहिने हाथे के धोवन का रंग हल्का गुलाबी व बायें हाथ का धोवन मटमैला आना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0द0स0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः आरोपीगण श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरागी पुत्र श्री सोहनलाल जाति बैरागी उम्र 49 साल निवासी नर्सिया कोलोनी, देई तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी व 2. श्री अर्जुनलाल चौपदार पुत्र श्री हजारीलाल जाति चौपदार उम्र 44 साल निवासी डोकून तह0 नैनवा जिला बून्दी हाल सरंपच पति (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत डोकून के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा0द0स0 में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(चन्द्रकंवर)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
इन्टे., कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद बैरागी पुत्र श्री सोहनलाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी एवं 2. श्री अर्जुनलाल चौपदार पुत्र श्री हजारी लाल, सरपंच पति (प्राईवेट व्यक्ति) ग्राम पंचायत डोकून तहसील नैनवा, जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 405/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3525-29 दिनांक 14.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बून्दी।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें कोटा।

14.10.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।